कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-09.07.2024

विषयः- शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने के प्रकरण मे वांछित अभियुक्त मनीष कुमार पटेल थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के नेतृत्व मे थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0279/2024 धारा 376,323,504,506 भा0द0वि0 थाना शिवपुर कमि0 वाराणसी से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्त मनीष कुमार पटेल पुत्र अमरनाथ पटेल निवासी रसूलपुर लमही थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी को आज दिनांक-09.07.2024 को समय करीब 10.30 बजे चांदमारी अण्डरपास शिवपुर वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-07.07.2024 को प्रार्थिनी/पीड़िता ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि वह जिस प्राइवेट कंपनी जॉब करती थी उसी कंपनी मे विपक्षी मनीष पटेल भी प्राइवेट नौकरी करता था और वह नौकरी का झांसा देकर अपनी बातो मे गुमराह करके लोगों को नौकरी दिलाकर उसके बदले में रूपया भी लेता था। विपक्षी मनीष पटेल की बातो से प्रभावित होकर प्रार्थिनी/पीड़िता उस कंपनी मे नौकरी करती थी तथा विपक्षी मनीष पटेल से उसका मिलना-जुलना होता रहता था। चूँकि विपक्षी मनीष पटेल ने प्रार्थिनी/पीड़िता से कहा कि तुम नौकरी करती रहो, समय बीतेगा तब तुम्हारी इनकम बढ़ती जायेगी, प्रार्थिनी मनीष पटेल के बातो में आकर वहाँ नौकरी करती रही। इसी बीच विपक्षी मनीष पटेल ने प्रार्थिनी/पीड़िता से कहा कि वह उसे चाहता है और उससे शादी करना चाहता है, तब प्रार्थिनी/पीड़िता ने विपक्षी मनीष पटेल से कहा कि मुझसे शादी कर लो तब विपक्षी मनीष पटेल ने कहा कि कुछ दिनों के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। इसी बीच में शादी का झाँसा देकर विपक्षी मनीष पटेल ने प्रार्थिनी/पीड़िता के साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया। प्रार्थिनी के द्वारा बार-बार कहने पर कि तुम मुझसे शादी कर लो लेकिन आज तक हीला-हवाली टाल-मटोल करता रहता था और जब प्रार्थिनी/पीड़िता ने कहा कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगा तो उसके घर पर जाकर परिवार वालो से सब कुछ बता देगी तो इस बात से विपक्षी मनीष पटेल ने क्रोधित हो कर प्रार्थिनी/पीड़िता को गाली गलौज दिया व उसे मारने पीटने लगा तथा जान से मारने की धमकी देकर कहा कि अगर यह बात तुम मेरे परिवार वालो से कहोगी तो तुम्हारी हत्या कर दूँगा, जिसके आधार पर थाना शिवपुर मे मु0अ0सं0 0279/2024 धारा 376/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रवीण कुमार मिश्रा द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मनीष कुमार पटेल पुत्र अमरनाथ पटेल निवासी रसूलपुर लमही थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी, उम्र लगभग 35 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- चांदमारी अण्डरपास शिवपुर वाराणसी से दिनांक-09.07.2024 को समय करीब 10.30 बजे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 प्रवीण कुमार मिश्रा थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

2- का0 दीपक कुमार थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।